सं0-218/XXVIII-5-2005-21/2005

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्साधिकारी
देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-5 देहरादून: दिनांक : 02 सितम्बर ~~अगस्त~~, 2005

विषय: टी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में परिवार कल्याण उपकेन्द्र के भवनों के निर्माण कार्य की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण के पत्र सं0-7प /1 / निर्माण / टी0एस0पी0 /14 /2005/15798 दिनांक 25.07.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2005-06 में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में परिवार कल्याण उपकेन्द्र के भवनों के निर्माण कार्य हेतु संलग्नानुसार कुल रू0 31,32,000-00 (रू0 इकत्तीस लाख बत्तीस हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक / वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में इतनी ही धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1- एकमुश्त प्राविधानों को कार्य से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी ।

2- कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये । कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा ।

3- धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात निर्माण इकाई परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा ।

4- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाऊचर संख्या एंव दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चत किया जायेगा ।

5- आगणन में उल्लेखित दरों कर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों में जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, की स्वीकृत नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा

6- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार स प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रा न किया जाय ।

7- कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है । स्वी मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

8- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

9- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते लोक निमार्ण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पा कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10- कार्य करने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्चधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता साथ अवश्य करा ले । निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्प के अनुरूप कार्य किया जाये ।

11- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय कि जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय । निर्माण सामग्री को प्रय में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वा सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

12- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एंव भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर प्रशासन को उपलब्ध करायी जायेगी । यह भी स्पष्ट कि जायेगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गया है ।

13- निर्माण के समय यदि किसी कारण वश यदि परिकल्पनाओं / विशिष्टियों में बदल आता है तो इस दशा में शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14- निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू-भाग क गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय ।

15- उक्त भवनों के कार्यो को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ता लागत पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े ।

16- उक्त व्यय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या -31 के लेखाशीर्ष 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत, 02- ग्रामीण स्वास्थ सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति, 796- जनजाति उप क्षेत्र योजना, 91- जिला योजन 9101- उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण , 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा त संलग्न पुनर्विनियोजन प्रपत्र बी0एम0 -15 के अनुसार कॉलम 1 की बचतों से रू0 3.8 लाख वहन किया जायेगा ।

17- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-604 /वित्त अनुभाग-2/2005 दिनांक 29.08.2005 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

पृ0सं0-218(1)/XXVIII- 5- 2005-21/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देरादून ।
2- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3- जिला कोषाधिकारी, देहरादुन।
4- जिलाधिकारी, देहरादून।
5- महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण उत्तरांचल ,देहरादून ।
6- परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम ।
7- निजी सचिव मा0 मुख्य मुख्यमंत्री ।
8- वित्त अनुभाग-2/ नियोजन विभाग / एन आई सी ।
9- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव

शासनादेश सं0-218/XXVIII-5-2005-21/2005 दिनांक02.6.2005 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में

क्र0 सं0	उपकेन्द्र का नाम	जनपद का नाम	निर्माण इकाई	आगणन की लागत	वर्ष 200 में स्वीकृ धनराशि
1	2	3	4	5	
1	कोरवा	देहरादून	पेयजल निगम	5.70	5.70
2	चन्देऊ	देहरादून	पेयजल निगम	6.34	6.34
3	सुजऊ	देहरादून	पेयजल निगम	6.00	6.00
4	कुन्ना	देहरादून	पेयजल निगम	7.45	7.45
5	कवॉसी	देहरादून	पेयजल निगम	5.83	5.83
			योग	31.32	31.32

(रू0 ईकतीस लाख बतीस हजार मात्र)

(अतर सिंह)
उप सचिव

प्रपत्र– बी0एम0– 15 प्रभाग– 158 अनुदान संख्या– 12 पुनर्विनियोजन प्रपत्र (हजार रुपये में)

नियंत्रक अधिकारी– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल, देहरादून।

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि मे व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखा शीर्षक जिनमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुर्न-विनियोजन के बाद की कुल धनराशि	पुर्न-विनियोजन के बाद कॉलम-1 की अवशेष धनराशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्यपर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत				4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजी गत परिव्यय आयोजनागत			रा0एलो0चिकि0 के भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत आवश्यकता से अधिक बजट प्राविधान होने के कारण धनराशि की बचत है ।
02– ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें -पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति				02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
796– जनजाति उप क्षेत्र योजना				796–जनजाति उप क्षेत्र योजना			
91–जिला योजना				91–जिला योजना			
9103–रा0 एलो0चिकि0के भवनों का निर्माण				9101–उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण			उप केन्द्रों का भवन निर्माण योजना में कम बजट प्राविधानित होने के कारण धनराशि की आवश्यकता है
24–वृहत निर्माण कार्य 5220		4000	1220	24–वृहत निर्माण कार्य 382	3132	4838	
योग 5220	–	4000	1220	382	3132	4838	

नोट– प्रमाणित किया जाना है कि पुनर्विनियोजन से बजट मेनुअल के परिच्छेद 150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(अतर सिंह)
उप सचिव

695

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–2
संख्या0– 604 (A) / वि0अनु0–2 / 05
देहरादून : दिनांक: 29.08.2005

पुनर्विनियोजन स्वीकृति

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तरांचल (लेखा एवं हकदारी)
माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून।

'अर्जुन सिंह

अपर सचिव
वित्त विभाग

संख्या : 218 / XXVIII –3– 2005–21 / 2005 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निदेशक, कोषागार, एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
3– वित्त संस्थान विभाग
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव,